कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांकः- G.D./Ins.Veh/K-12/2021-22/ D-156 दिनांकः- 30/09/2021

सीमित निविदा

इस कार्यालय द्वारा निरीक्षण कार्य हेतु एक Innova or Similar (इनोवा या इसके समकक्ष) एक वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर रखी जानी है गाडी तीन वर्ष से ज्यादा पुरानी नही हो, इच्छुक कार प्रदाता फर्मो से उक्त गाडी हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है ।

इस संबंध में सामान्य नियम एवं शर्ते, योग्यता एवं टेण्डर फार्म हेतु इस कार्यालय के जी.डी.अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में दिनांक 16.10.2021 तक प्राप्त किये जा सकते है।

सीलबन्द निविदा फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 18.10.2021 सांय 3.00 बजे तक है ।

वरि. उपमहालेखाकार / प्रशासन

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांकः- G.D./Ins.Veh/K-12/2021-22/ दिनांकः-

निविदा दरें प्रस्तावित करने हेतु प्रोफार्मा

1. फर्म/सेवा प्रदाता का नाम ....
2. दूरभाष/मोबाईल नम्बर ....
3. प्रोप्राईटर/निदेशक का नाम ....
4. फर्म/सेवा प्रदाता पता ....
....
....
5. दरों का विवरण

कार्यालय का नाम व पता	कार का विवरण	मासिक दर 1500 KM PER MONTH
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर जनपथ, स्टेच्यू सर्किल के पास, जयपुर - 302005	Innova or similar type car	

6. आयकर को छोडकर अन्य लागू टैक्स की दरें एवं टैक्स का विवरण (आयकर सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जायेगा) ....
7. अन्य जिम्मेदारियां, यदि कोई हो ....

नोटः उक्त वर्णित राशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह के टैक्स या अन्य अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा नही किया जायेगा ।

हस्ताक्षर मय तिथि..............................

फर्म का नाम......................................

मोहर...

किराये की कार हेतु निविदा शर्ते

1. गाडी नई वातानुकूलित तथा पूर्णतया सुसज्जित होनी चाहिए जिसमे सफेद सीट कवर, म्यूजिक, कारपेट, फुटमेट, पर्दे आदि फिटिंग्स होनी चाहिए ।
2. वाहन चालक को कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।
3. सामान्यतया कार्य समय प्रातः 9.00 बजे से सांय 9.00 बजे तक होगा । रविवार के अतिरिक्त कोई अवकाश नही होगा ।
4. उपलब्ध करवायी गई गाडी के खराब होने/सर्विस पर होने अथवा वाहन चालक की अनुपस्थिति के दौरान दूसरी कार उपलब्ध करवाने/अन्य वाहन चालक की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी; किसी भी दिन कार उपलब्ध नही करवाने अथवा वाहन चालक के अनुपस्थिति रहने पर कार अनुबंध की राशि में से दो दिन की राशि काट ली जायेगी ।
5. गाडी जयपुर/राजस्थान से बाहर टूर पर जा सकती है, दुसरे राज्य का टैक्स , टोल टैक्स , पार्किग का खर्चा कार्यालय द्वारा देय होगा।
6. गाडी की मरम्मत एवं सभी प्रकार के टैक्स, इश्योरेंस एवं दुर्धटना से संबंध में पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी ।
7. अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए होगा ।
8. वाहन चालक के अशोभनीय व्यवहार या गाडी की सही सर्विस नही होने पर इस कार्यालय को किसी भी समय ठेका रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
9. गाडी के ड्राइवर से संबंध स्थापित करने हेतु उसके निवास स्थान पर या तो टेलीफोन हो या मोबाईल नबंर सेवा प्रदाता को बताना होगा ।
10. सेवाप्रदाता की यह जिम्मेदारी होगी कि गाडी पर समस्त देय कर एवं बीमा राशि का भुगतान समय से किया जाये और गाडी हमेशा अच्छी कण्डीशन में रहे । यदि कार की रिपेयर/सर्विस होनी है तो दूसरी गाडी उपलब्ध कराई जाये । यदि **सर्विस** कार्य दिवस को कराना आवश्यक हो तो आवश्यकतानुसार दूसरी गाडी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी ।
11. वाहन की दरें 1500 किमी प्रति माह के लिए होगी। यदि किसी माह में वाहन 1500 किमी से कम चलेगा तो बचे हुए किमी. को आगामी माहों में अधिकतम अनुबंध अवधि तक समायोजित किया जाएगा, किसी माह में 1500 कि.मी से अधिक चलने पर अधिक किलोमीटर को आगामी एक माह के लिये अग्रेषित किया जाऐगा।
12. सेवाप्रदाता द्वारा गाडी चालक को निर्धारित वर्दी उपलब्ध करवाई जायेगी और उसे कार्य समय में पहनना अनिवार्य होगा ।

13. कार्यालय द्वारा एक दिन की पूर्व सूचना पर अवकाश वाले दिन भी वाहन मांगा जा सकता है।

14. विवाद की दशा के मामले में अंतिम निर्णय वरि. उप महालेखाकार (Admn.) का रहेगा ।

15. गाडी Innova या इसके समकक्ष होनी चाहिये तथा यह कार 3 वर्ष से अधिक पुरानी नही होनी चाहिये , नये वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी ।

16. निविदा के स्वीकृत होने के उपरांत एक अनुबध पत्र भरना होगा । जो कि 500/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होगा ।

17. निविदा के साथ राशि रुपये 10,000 (दस हजार रुपये) का Demand Draft PAY and Accounts officers , IA&AD , JAIPUR के पक्ष में बनवाकर सलग्न करना होगा।

18. सफल निविदा दाता को कुल सालाना निविदा राशि का 5 प्रतिशत के बराबर राशि का Demand Draft / FIXED DEPOSIT सुरक्षित जमा के रुप में जमा कराना होगा।

19. Covid 19 Pandemic की वजह से वाहन के सेनिटाइजेशन की व्यवस्था वाहन प्रदाता को करनी होगी।

20. यह कि स्वीकृत दरें सम्पूर्ण वर्ष के लिये लागू होगी तथा समय में वृद्वि फर्म एवं इस कार्यालय की आपसी सहमति से ही की जा सकेगी।

वरि.लेखाधिकारी / जी.डी.